न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 139/2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/526

1. मनजीत सिंह पुत्र देवराज निवासी केहरियां तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)

—अपीलार्थी

बनाम

1. रविन्द्र कुमार पुत्र बुल्लुराम जाति चौधरी निवासी 2 ए.एस. तहसील व जिला अनूपगढ़
2. कुलदीप राज पुत्र देवराज जाति चौधरी निवासी केहरियां तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
3. मुकेश कुमार पुत्र देवराज जाति चौधरी निवासी केहरियां तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
4. सन्तोष कुमारी बेवा देवराज जाति चौधरी निवासी केहरियां तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
5. शकुन्तला देवी पुत्री खजाना जाति चौधरी केहरियां तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
6. तहसीलदार(राजस्व एवं भू.अ.) अनूपगढ़

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री योगेन्द्र कुमार, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री जुल्फकार खान, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1
3. श्री दिनेश कामरा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 5
4. तहसीलदार अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 06/07/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपीलार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा वसीयत प्रकरण सं. 68/2023 में पारित आदेश दिनांक 27.10.2023 जिसके द्वारा चक 2 एएम तहसील अनूपगढ़ का प.नं. 201/48से व्यथित होकर यह अपील मय प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का 3.933है., एवं प.नं. 202/34 का 2.772है. कुल 6.705है. कमाण्ड रकबा का वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने के आदेश दिए गये हैं के विरूद्ध यह अपील मय प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी, धारा 5 मियाद अधि., प्रा. पत्र आ. 41 नि. 27 सीपीसी व स्थगन प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की हैं।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं. 1 एवं प्रत्यर्थी सं. 5 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। अपील प्रकरण से पूर्व प्रार्थना पत्रों 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम, आ. 41 नि. 27 सीपीसी व स्थगन प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना आवश्यक हैं।
3. अपीलार्थी प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अपीलार्थी आलौच्य आदेश से प्रभावित पक्षकार हैं। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नहीं था। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया हैं। अपीलाधीन भूमि के मूल आवंटी सेती पत्नी खजाना के मृतक पुत्र देवराज का अपीलांट व प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 विधिक वारिसान हैं। आवंटी सेती की निर्वसीयत मृत्यु हुई हैं। प्रश्नगत वसीयत दिनांक 02.08.1985 सेती द्वारा निष्पादित नहीं की गयी हैं। अपीलाधीन आदेश के कायम रहने से अपीलार्थी के विधिक अधिकार प्रभावित होते हैं। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित हैं। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि अपीलांट को दिनांक 23.11.2023 को विरास्तन इनतकाल करवाने के लिए तहसील कार्यालय अनूपगढ़ से सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अपीलधीन आदेश एकपक्षीय हैं। आदेश की नकल प्राप्त कर बिना

जिला कलक्टर अनूपगढ़

किसी देरी के अपील पेश की हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आ. 41 नि. 27 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट पक्षकार मुकदमा नहीं था, एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है जिस कारण अपीलांट सबूत पेश नहीं कर पाये अतः अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेने हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 निवेदन किया कि वसीयत प्रत्यर्थी के पक्ष में हैं, अपीलार्थी किसी भी प्रकार से आलौच्य आदेश से प्रभावित नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करवाया था। अपीलार्थी को प्रारम्भ से ही आलौच्य आदेश का ज्ञान हैं, अपील देरी से पेश की हैं जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 5 निवेदन किया कि आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व प्रत्यर्थी सं. 5 को भी सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2023 को आदेश पारित किया गया हैं तथा अपीलार्थी द्वारा अपील दिनांक 05.12.2023 को न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलार्थी का कथन हैं कि उन्हें अलौच्य आदेश का ज्ञान दिनांक 23.11.2023 को हुआ हैं। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया, प्रमाणित प्रति दिनांक 01.12.2023 को जारी की गयी हैं। प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा अपीलार्थी के मृतक वसीयतकर्ता के वारिस होने के संबंध में भी कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत छायाप्रति न्यायिक दृष्टांत माननीय सर्वोच्य न्यायालय भारत के सिविल अपील सं. 318 दिनांक 2015 चन्दन सिंह बनाम नेशनल इन्शयोरेंस कम्पनी लि. आदि में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2015 के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अवलोकनीय हैं :–

"**Condonation of delay -** Courts and tribunals are required to examine the cases of litigants on merits and not to reject the cases at the threshold on technicalities ie. on the ground of delay."

प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कंडोन करते हुए गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायसंगत हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करते हुए अपील को अन्दर मियाद ग्रहण किया जाता हैं। चूंकि अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इसलिए न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाता हैं। चूंकि प्रकरण में मूल अपील पर निर्णय किया जा रहा हैं एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं अतः स्थगन प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं।

4. मूल अपील पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। अपीलार्थी अधिवक्ता अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि पौंग बांध विस्थापितों के रूप में आवंटित हुई थी। वसीयत के समय भूमि गैर खातेदारी थी जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया हैं, आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया न ही नोटिस जारी किया गया हैं। पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं किया हैं कि भूमि पर प्रत्यर्थी सं. 1 कब्जा हैं। आलौच्य आदेश विधि विपरीत होने के कारण खारिज योग्य हैं। अपील स्वीकार कर आलौच्य आदेश खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी सद्भावी नहीं हैं। आलौच्य आदेश व वसीयत का अपीलार्थी को प्रारम्भ से ज्ञान था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण जांच उपरान्त विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर आदेश पारित किया गया है। वसीयत प्रत्यर्थी के पक्ष में हैं। जो राजस्व अधिकारी तहसीलदार द्वारा तस्दीकशुदा हैं। अलौच्य आदेश विधिसम्मत हैं अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया। प्रत्यर्थी सं. 5 के अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता के कथनों का समर्थन कर निवेदन

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया जबकि प्रत्यर्थी मूल आवंटी सेती की विधिक वारिसान हैं।

6. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का परिशीलन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार वसीयत सेती बहक रविन्द्र कुमार दिनांक 02.08.1985 की हैं। प्रकरण में भूमि की सनद खातेदारी दिनांक 18.02.2006 की हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के प्रावधान निम्नांकित अनुसार अवलोकनीय हैं :–

Bequest.— A Khatedar tenant may by will bequeath his interest in the holding of part thereof in accordance with the personal law to which he is subject.

इसके अतिरिक्त नियम 6(4)THE RAJASTHAN COLONISATION (ALLOTMENT AND SALE OF GOVERNMENT LAND TO PONG DAM OUSTEES AND THEIR TRANSFEREES IN THE INDIRA GANDHI CANAL COLONY) RULES, 1972 के अनुसार

"During the period of ghair-khatedari tenure, the allottee shall not have any alienable and transferable rights in land and shall not transfer or alienate the land to any other person in any way e.g. by sale, mortagage, gift, transfer, lease or otherwise. No transfer or alienation of land even in the form of a Nokername, Mukhtiarname, Tebilname, Ikrarname or the like shall be permissible. 4 [Provided that after the expiry of 5 [three years] from the date of taking over possession by the allottee and subject to allottee having paid the full price of land allotted to him, the Colonisation Commissioner may, on the application of the allottee, after satisfying that hard and exceptional circumstances exist, allow the allottee to relinquish the land allotted to him in favour of the State Government on refund of the price paid by him for the said land Provided further that no order under the first proviso allowing relinquishment shall be passed by the Colonisation Commissioner without obtaining the previous approval of the State Government. In case the State Government refuses to give such approval, the Colonisation Commissioner may allow the allottee to transfer the land in favour of any other person.]"

इस संबंध में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरबीजे(30) 2023 पृष्ठ सं. 120, आरआरटी 2019(2)पृष्ठ सं. 1110, आरआरटी 2008(2) पृष्ठ सं. 1117 इस प्रकरण पर लागू होते हैं।

7. प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि खातेदार/वसीयतकर्ता के वारिसान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा जारी सार्वजनिक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई गयी हैं जबकि अपीलार्थी व अन्य वारिसान हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक सूचना समय दैनिक जागरण एवं दैनिक भौर समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गयी हैं अधिनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे लोक प्रचलित समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करवाते।

8. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि वसीयत के समय भूमि गैर खातेदारी थी, जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय इस बिन्दू पर ध्यान नहीं देते हुए आदेश पारित किया हैं तथा अपीलार्थी व अन्य वारिसान को सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य हैं।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2023 को निरस्त किया जाता हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक ....06.07.24... को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़